महिलाओं के विकास में महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका

*डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मीणा

शोध सारांश

राज्य सरकार महिलाओं एवं बच्चों के विकास और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील है। राज्य में इस उद्देश्य को लेकर वर्ष 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। परन्तु महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से समानता के आधार पर जोड़ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाने और उनके अधिकारों का संरक्षण करने की दृष्टि से 18 जून 2007 के आदेश से महिला अधिकारिता निदेशालय की स्थापना की गई। इस प्रकार 18 जून 2007 के आदेश से महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत दो अलग–अलग निदेशालय बनाए गए (i) निदेशालय महिला अधिकारिता (ii) निदेशाल समेकित बाल विकास सेवाएँ। जहाँ निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत महिला विकास और सशक्तिकरण के कार्यक्रमों को एकीकृत किया गया है वहीं निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ के अन्तर्गत बच्चों के समग्र विकास, बाल अधिकारों के संरक्षण, बच्चों से संबंधित मुद्दों पर सामाजिक चेतना जागृत करने पर ध्यान किया जा रहा है। महिला अधिकारिता तथा समेकित बाल विकास सेवायें निदेशालय का कार्य विभाजन तथा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है।

निदेशालय, महिला अधिकारिता

निदेशालय द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं नीतियों में समन्वय कर महिलाओं को वास्तविक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण, रोजगार तथा प्रशिक्षण एवं उनका सामाजिक सशक्तिकरण महिला अधिकारिता के प्रमुख क्षेत्र है। महिला अधिकारिता विभाग के निम्न उद्देश्य है।

1. महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनायें
2. राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग से संबंधित कार्य
3. महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम
4. राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन
5. महिला प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रम यथा–स्वावलम्बन, स्टेप, कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं किशोरी शक्ति योजना इत्यादि
6. महिलाओं के संरक्षण संबंधित योजनायें यथा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 की पालना संबंधी कार्य

संगठनात्मक संरचना

राजस्थान राज्य में महिला अधिकारिता विभाग एवं समेकित बाल विकास सेवायें एक ही विभाग के अधीन काम करते

हैं। इन दोनों विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य स्तर पर एक ही स्थान पर होता है, किन्तु इन दोनों विभागों के कार्यों एवं क्रिया–कलापों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार समेकित महिला अधिकारिता विभाग की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है।

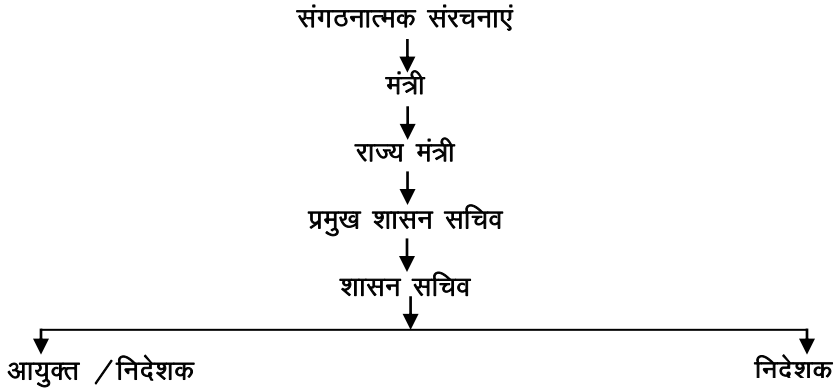

अति निदेशक म. अ.	कार्यकारी निदेशक स्वयं सहायता समूह	उपनिदेशक महिला सुरक्षा	वित्तीय सलाहकार	अतिरिक्त निदेशक	अतिरिक्त निदेशक पोषाहार	संयुक्त निर्देशक (मीनी)	वित्तीय सलाहकार
परियोजन समनवयक	कार्यक्रम निर्देशक	लेखा अधिकारी	लेखा अधिकारी	संयुक्त परियोजना समन्वयक	उपनिदेशक	उपविधि परामर्शी	वरिष्ठ लेखाधिकारी
अति. परियोजना समन्वयक (जेन्डर)	कार्यक्रम अधिकारी विपणन	कार्यक्रम अधिकारी एस. डब्लयू आर.सी		उपनिदेशक	सहायक निदेशक	जन सम्पर्क अधिकारी	लेखाधिकारी
उपनिदेशक म.अ.	उपनिदेशक	कार्यक्रम अधिकारी जिला स्तर		परियोजना अधिकारी म.बा.अ			
कार्यक्रम अधिकारी म.अ. /अनुसंधान अधिकारी	कार्यक्रम अधिकारी, उपनिदेशक सांख्यिकी	प्रचेता, साथिन		महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा			

निदेशालय महिला अधिकारिकता

राजस्थान राज्य में महिला विकास कार्यक्रम वर्ष 1984 में 6 जिलों में प्रारम्भ किया गया था। कार्यक्रम के आंकलन से प्राप्त सकारात्मक परिणामों से प्रोत्साहित होकर राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में इसे क्रियान्वित किया गया है। महिला विकास कार्यक्रम का वृहद लक्ष्य जागरूकता द्वारा, शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण करना तथा उन्हें विकास की से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में अन्तर्गत महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में केवल लाभार्थी के रूप में ही न देखा जाकर एक आवश्यक भागीदार के रूप में समझा जाता है ताकि एक समेकित मानवीय दृष्टिकोण का विचार पनप सके। महिला विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। परिणामस्वरूप इसका मूल्यांकन भौतिक आधार पर नहीं किय जा सकता। कार्यक्रम की पद्धति गुणात्मक है जिसमें ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना जागृति करना, विचारों व सोच में परिवर्तन करना शामिल है।

राज्य सरकार महिलाओं एवं बच्चों के विकास और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील है। राज्य में इस उद्देश्य को लेकर वर्ष 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया, परन्तु महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से समानता के आधार पर जोड़ने, महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाने एवं उनके अधिकारों का संरक्षण करने की दृष्टि से 18 जनवरी 2007 के आदेश से महिला अधिकारिता निदेशालय की स्थापना की गई।

जिला स्तर पर महिला अधिकारिता विभाग के कार्य

1. महिला सशक्तिकरण के लिये संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं का अवलोकन करके उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का सुझाव देना, सरकार की सहमति से संशोधन करना एवं नवाचार करना।

2. महिला अधिकारिता विभाग में जिले की स्वंयसेवी संस्था, महिला प्रधान, महिला संरपच, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों, साथिन, प्रचेता आदि से जुड़ी स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराना तथा जहाँ तक संभव हो इन महिलाओं की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर करना।

3. महिलाओं के लिए शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास आदि विभागों द्वारा महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है, उन योजनाओं को प्रत्येक महिला तक पहुंचाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग उत्तरदायी है। महिलाओं से संबंधित विकास के मुद्दों पर खुलापन लेकर कार्य करना तथा सरकारी विभागों द्वारा महिलाओं को समुचित लाभ न मिलने पर उन्हें पुरजोर तरीके से प्रस्तुत करके महिलाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करना।

4. राष्ट्रीय महिला कोष, यूएनएफपीए, यूनीसेफ अन्य विभाग राष्ट्रीय व राज्य समाज कल्याण बोर्ड अथवा सरकार द्वारा संचालित किये गये गैर शासकीय उपक्रम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर महिलाओं को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित करना।

5. महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण की ओर बढ़ाने तथा उनके द्वारा योजनाओं का लाभ लेने, सामाजिक कार्यों में सहभागिता आदि का आंकलन एवं विश्लेषण करके अग्रिम कार्यवाही कराना।

6. महिलाओं/बालिकाओं के हितों को ऊपर उठाने के लिए स्वीकृत योजनाओं/कार्यक्रमों की क्रियान्विति, निगरानी एवं समीक्षा करना।

7. जिले की आवश्यकतानुसार कार्य योजना तैयार करना।

***सहायक प्रोफेसर**
लोकप्रशासन विभाग
एस.एस.जैन. सुबोध पी.जी महाविद्यालय
जयपुर (राज.)

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राजस्थान सुजस मार्च अप्रेल 2011 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान पृष्ठ संख्या 25
2. प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण वर्ष 2014–15 महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर पृष्ठ संख्या 1
3. महिला अधिकारिता योजनायें कार्यक्रम एवं गतिविधियां निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर 2010–11 पृष्ठ संख्या 5
4. प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण वर्ष 2014–15 महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर पृष्ठ संख्या 15–16
5. महिला अधिकारिता योजनायें कार्यक्रम एवं गतिविधियां निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर 2010–11 पृष्ठ संख्या 6
6. महिला अधिकारिता योजनायें कार्यक्रम एवं गतिविधियां निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर 2010–11 पृष्ठ संख्या 7
7. महिला अधिकारिता योजनायें कार्यक्रम एवं गतिविधियां निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर 2010–11 पृष्ठ संख्या 8
8. महिला अधिकारिता योजनायें कार्यक्रम एवं गतिविधियां निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर 2010–11 पृष्ठ संख्या 9
9. महिला अधिकारिता योजनायें कार्यक्रम एवं गतिविधियां निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर 2010–11 पृष्ठ संख्या 10